विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछें गये अल्पसूचित प्रश्न संख्या-3 का उत्तरः-

	प्रश्न	उत्तर
3(क)	क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से वंचित किया गया है?	जी हॉ।
(ख)	यदि हॉ, तो इसके महत्वपूर्ण कारण क्या हैं?	भारत सरकार द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2004 से केन्द्र सरकार की सेवा में आये सभी नये कर्मचारियों के लिये ''नव परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना'' लागू की गयी है, तद्क्रम में शासन की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)-3003 दिनांक 28.03.2005 एवं शासन के पत्र संख्या-783/15-8-2022-3004/2021 दिनांक 01 जून 2022 द्वारा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त संस्थाओं/शिक्षण संस्थाओं में दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके उपरान्त सेवा में प्रवेश करने वाले कार्मिक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित होंगे।
(ग)	क्या नवीन पेंशन योजना के 16 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त योजना निष्प्रभावी रही है?	जी नहीं। शासन की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)-3003 दिनांक 28.03.2005 में विहित व्यवस्थानुसार नवीन पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के प्रान खाते में समयान्तर्गत राजकीय अंशदान जमा कराया जाता है तथा सेवानिवृत्ति के उपरान्त उक्त शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार उनके सेवानैवृत्तिक देयकों का भुगतान किया जाता है।
(घ)	क्या ऐसी निष्प्रभावी योजना को बन्द कर पुरानी पेंशन योजना लागू करायेंगे?	जी नहीं।
(ड.)	यदि हॉ, तो कब तक?	प्रश्न नहीं उठता।
(च)	यदि नहीं, तो क्यों?	शासन की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)-3003 दिनांक 28.03.2005 में विहित व्यवस्थानुसार नवीन पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के प्रान खाते में समयान्तर्गत राजकीय अंशदान जमा कराया जाता है तथा सेवानिवृत्ति के उपरान्त उक्त शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार उनके सेवानिवृत्तिक देयकों का भुगतान किया जाता है। चूंकि केन्द्र सरकार की पेंशन नीति होने के कारण पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

(गुलाब देवी)
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)